CATS APPROVED

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 1201 / 15–1 (1) दिनांक, रामनगर 11/11/.2022

सेवा में,

सम्पादक,
1. अमर उजाला, रामनगर।
2. दैनिक जागरण, रामनगर।
3. हिन्दुस्तान, रामनगर।

विषय :– संशोधित प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्र 1165 / 15–1(1) दिनाँक 09.11.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के सीतावनी पर्यटन जोन हेतु जारी आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 6 अर्हता हेतु मानक के बिन्दु 3 में आंशिक संशोधन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण (50% अंको से अधिक) के स्थान पर केवल किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होगी। प्रेस विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम साइज में डी0ए0वी0पी0 की दरों पर दिनाँक 12.11.2022 के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्रांक 1060 / 15–1(1) दिनाँक 29.10.2022 के आलोक में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के सीतावनी पर्यटन जोन हेतु 100 नेचर गाईडों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिसमें आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 6 में अर्हता हेतु मानक के बिन्दु 3 में आंशिक संशोधन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण (50% अंको से अधिक) के स्थान पर केवल किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होगी

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक : 1201 / / –तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति के बिन्दु सं0 6 अर्हता हेतु मानक के बिन्दु 3 में उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ) उत्तराखण्ड, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned with CamScanner

नेचर गाईड पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
सीतावनी पर्यटन जोन, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

स्व–प्रमाणित नवीनतम फोटो

1. आवेदक का नाम :...

2. पिता/पति का नाम :...

3. आवेदक का पता...

अ– स्थाई पता :...
....

ब– (पत्राचार हेतु पता) :...
....

स– मोबाइल नं0 :..............................द– ई–मेल..............................

4. शैक्षिक योग्यता–

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	संस्था/बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण श्रेणी

5. नेचर गाइड संबन्धी प्रशिक्षण का विवरणः–(यदि प्रशिक्षण प्राप्त किया है)
प्रशिक्षण का नाम..,वर्ष ....
विभाग का नाम..

6. अर्हता हेतु मानक :–
   1. नेचर गाइड का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
   2. आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष (दिनाँक 01.11.2022 तक) होनी अनिवार्य है।
   3. *न्यूनतम शैक्षिक योग्यता– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण।*
   4. अन्य अर्हताएं– अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान। सीतावनी टूरिज्म जोन के महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों एवं सरीसृप, वृक्षों का ज्ञान एवं पहचान। विभिन्न वन्य प्राणियों के चिन्हों तथा आवाज की पहचान, वन्यजीवों की संख्या के आंकलन तथा अनुमानित संख्या संबन्धित विवरण का ज्ञान, सीतावनी टूरिज्म जोन के विभिन्न नियमों की जानकारी, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान।
   5. नेचर गाइड प्रशिक्षण चयन हेतु सीतावनी टूरिज्म जोन के समीपवर्ती ग्रामों के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाएगी।

अन्य शर्तेः–
1. पूर्ण रूप से प्रविष्टि किए हुए आवेदन पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में दिनाँक 26.11.2022 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। उक्त तिथि के उपरान्त् प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. प्राप्त आवेदनों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि से अवगत करा दिया जाएगा।
3. अपूर्ण एवं ओवरराइटिंग किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. नेचर गाईडों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
5. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक पूर्व में किसी भी पर्यटन क्षेत्र में नेचर गाईड के रूप में पंजीकृत नहीं है। यदि उसके उपरान्त् भी आवेदक किसी अन्य पर्यटन क्षेत्र में पंजीकृत पाया जाता है तो इस वन प्रभाग में नेचर गाईड के रूप में पंजीकृत होने के उपरान्त भी उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी।

नोटः– अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने से पूर्व दिशा–निर्देशों का भलीभाँति अवलोकन कर लिया जाए।

दिनाँकः

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

—क्रमशः—

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों का विवरण :–

1. हाईस्कूल की अंकतालिका व प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका व प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
3. आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5. पूर्व में नेचर गाइड प्रशिक्षण प्राप्ति के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5. अन्य किसी पर्यटन जोन में पंजीकृत न होने के आशय का शपथ पत्र(नोटरी द्वारा प्रमाणित)। (वरीयता हेतु)
7. किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित न होने का शपथ पत्र(नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
8. रू0 1,00,000.00 (एक लाख) का दुर्घटना बीमा प्रमाण पत्र।
9. रू0 40/– की डाक टिकट लगा हुआ 25से0मी0 x 4से0मी0 का लिफाफा।

Scanned with CamScanner